



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राज—पत्र
विशेषांक**

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

अग्रहायण 18, शुक्रवार, शाके 1938—दिसम्बर 9, 2016

Agrahayana 18, Friday, Saka 1938—December 9, 2016

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 5, 2016

संख्या एफ. 23(2)चि.एवं स्वा. 3/2003/पार्ट :—गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 57) की धारा 17 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतदद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 23 (2)चि.एवं स्वा. 3/2003 पार्ट दिनांक 23-04-2015 जिसके द्वारा अलवर जिले के लिये गठित जिला सलाहकार समिति में मनोनित किये गये सामाजिक कार्यकर्ताओं जिनके नाम उक्त अधिसूचना की सारणी के क्रम संख्या 2 के सामने कॉलम संख्या 3, 4 व 5 में उल्लेखित हैं के मनोनयन निरस्त करती है तथा उनके स्थान पर निम्न सामाजिक कार्यकर्ताओं का मनोनयन करती हैं :—

क्र.सं.	जिले का नाम	तीन समाजिक कार्यकर्ता	डॉ. के.के. गुप्ता पुत्र	श्री अंकित कौशिक पुत्र श्री
1.	अलवर	श्रीमती शीला स्वामी पत्नी श्री विजय स्वामी निवासी 147, शांति कुंज अलवर मो. नं. 9828220969	श्री जगन्नाथ गुप्ता निवासी 48ए. अल्कापुरी, अलवर मो. नं. 9829063699	किशोरी लाल कौशिक निवासी 109, स्कीम नं. 05, अलवर मो. नं. 9694444441

उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष का रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
अजय असवाल,
शासन उप सचिव।